



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25062021-227895
CG-DL-E-25062021-227895

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2388]
No. 2388]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 25, 2021/आषाढ़ 4, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 25, 2021/ASHADHA 4, 1943

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो)
(कोफेपोसा स्कंध)
आदेश
नई दिल्ली, 25 जून, 2021

का.आ. 2579(अ).—जबकि, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम, 1974(1974 का 52) की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत विशेष रूप से अधिकार प्राप्त संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा उक्त उप-धारा के तहत दिनांक 29.01.2021 को जारी आदेश सं.पीडी-12001/08/2021- कोफेपोसा में यह निदेश दिया गया था कि श्री राकेश कुमार, सुपुत्र स्व. श्री जगदीश कुमार, निवासी मकान सं. 50/1, न्यू दसमेस नगर, वार्ड नं. 1, राजपुरा, जिला-पटियाला, पंजाब-140401 को हिरासत में लिया जाए और तिहाड़ जेल, नई दिल्ली में रखा जाए ताकि भविष्य में उन्हें माल की तस्करी करने, माल की तस्करी को बढ़ावा देने और तस्करी के माल का परिवहन करने या छुपाने या रखने से रोका जा सके।

2. जबकि केन्द्र सरकार के पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि पूर्वोक्त व्यक्ति भगोड़ा है या अपने को छिपाए हुए है ताकि आदेश का पालन न किया जा सके।

3. अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा पूर्वोक्त व्यक्ति को निदेश देती है कि सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से 7 दिन के अंदर वह पुलिस महानिदेशक, पंजाब सरकार, चंडीगढ़ के सामने उपस्थित हो।

[फा. सं. पीडी-12001/08/2021—कोफेपोसा]

रवि प्रताप सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL ECONOMIC INTELLIGENCE BUREAU)****(COFEPOSA WING)****ORDER**

New Delhi, the 25th June, 2021

S.O. 2579(E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued Order No. PD-12001/08/2021-COFEPOSA dated 29.01.2021 under the said sub-section directing that Shri Rakesh Kumar, S/o Late Shri Jagdish Kumar, R/o House No. 50/1, New Dashmes Nagar, Ward No.1, Rajpura, District- Patiala, Punjab-140401 be detained and kept in Tihar Jail, New Delhi with a view to prevent him from smuggling goods, abetting the smuggling of goods and engaging in transporting or concealing or keeping smuggled goods in future.

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or has been concealing himself so that the Order cannot be executed.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Director General of Police, Government of Punjab, Chandigarh within 7 days of the publication of this Order in the Official Gazette.

[F. No. PD-12001/08/2021-COFEPOSA]

RAVI PRATAP SINGH, Jt. Secy.